

कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख) जिला बैतूल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक:- /एल.आर.2/भू.अभि./2018/ 1707

बैतूल, दिनांक 25/9/2018

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रमांक:- 2679/तक./मो.- गं./का.यं.-23/2018-19, दिनांक 19-9-2018 द्वारा, नर्मदा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की योजना के अनुसार जिले की निम्नानुसार 662 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है:-

अ. क्र.	तहसील	ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	मद	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. में)	रिमार्क (खसरा वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार स्थिति)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चिचोली	अटारी	93/1	21.901	वन	25.000	
		अटारी	115/1	24.947	वन		
		अटारी	128/1	31.169	वन	25.000	
		अटारी	131/1	38.171	वन		
		अटारी	75/1	25.479	वन	25.000	
		अटारी	63	1.635	वन		
		जोगलीखास	463	27.087	वन	25.000	
2	भैसदेही	सिंगारचावड़ी	1/1/1	26.601	वन	25.000	
		सिंगारचावड़ी	41/1	1.757	चरनोई		
		झापल	31/1	26.535	वन	20.000	न्याया.अप कले. बैतूल के रा. मा. क्र. 07/अ-19(3)/ 17-18 में पारित आदेश दिनांक 24-11/2017 द्वारा इस खसरा नंबर में से 20.000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है।
		ठेंगना	32/1	42.778	बड़े झाड़ का जंगल	20.000	चालू खसरा के अनुसार वन मद में दर्ज है।
		काबरा	157/1	35.814	बड़े झाड़ का जंगल	20.000	चालू खसरा के अनुसार ख.नं. 157/1 के पाँच बटाकन हो चुके हैं। ख. नं. 157/1/क रकबा 1.943 हेक्टे. तथा ख. नं. 157/1 (ख) रकबा 0.202 हेक्टे. बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। ख.नं. 157/1 ग रकबा 5.666 हे., ख. नं. 157/1/घ रकबा 1.943 हे., ख. नं. 157/1/ड. रकबा 0.809 हे. भूमिस्वामी हक में दर्ज है।
		आंकी रैयत	37/1	5.362	घांस	20.000	चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।
			38	12.995	पहाड़		
			42/1	2.015	चरनोई		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।

अपर कलेक्टर
बैतूल

			44	3.536	बड़े झाड़ के जंगल		
		मोहदा	142/1	16.494	पहाड़	14.000	
		जड़िया	159	3.153	घास	30.000	चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।
			160	28.280	चट्टान		चालू खसरा में आबादी गाँवठान के साथ चट्टान दर्ज है।
			161	2.427	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।
		जड़िया	152/1	113.029	चट्टान	30.00	चालू खसरा में उक्त सर्वे नंबर, बड़े झाड़ का जंगल और चट्टान दर्ज है।
			152/2	0.901	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।
			152/4	4.16	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घांस मद में दर्ज है।
3	आमला	हसलपुर	82/1	12.343	पहाड़	10.000	रक्षा विभाग की व्यवस्था में है।
4	बैतूल	सेहरा	412/1	12.890	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		सेहरा	465	15.361	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		दीवनचारसी	45	11.918	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		नायकचारसी	222	19.867	वन	10.000	चालू खसरा की कैफियत के अनुसार उक्त सर्वे नंबर चराई के लिए मुकर्रर है।
		कोलगाव	321/1	16.778	चरनोई	10.000	-----"
5	आमला	लालावाड़ी	491/1	10.218	चरनोई	4.000	-----"
		लालावाड़ी	598	70.144	चरनोई	30.000	-----"
		लालावाड़ी	666	29.985	चरनोई	12.000	-----"
		लालावाड़ी	668	18.487	चरनोई	10.000	-----"
		तिरमहु	830	10.878	वन	7.000	
6	घोड़ाडोंगरी	गोपालपुर	1	387.442	बड़े झाड़ का जंगल	70.000	चालू रिकार्ड के अनुसार इस सर्वे नंबर में से 134.004 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है।
		गांधीग्राम	11	130.85	बड़े झाड़ का जंगल	25.000	वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 11/1 रकबा 60.850 हेक्टेयर भूमि ही रिक्त है, शेष भूमि वन विभाग को पूर्व में ही हस्तांतरित की जा चुकी है।
		सूकाढाना	5/1	27.009	वन	20.00	
		शोभापुर	2/2	94.611	बड़े झाड़ का जंगल	25.00	ख. नं. 2/2 में से 1.900 हेक्टे. पर काबिज व्यक्तियों को वनाधिकार पत्र प्रदाय किये गये है।

अपर
बैतूल

		2/1	29.003	बड़े झाड़ का जंगल	20.00	
	सूकाढाना	1	12.384	वन	10.00	
	पाढरा	414	12.145	वन	10.00	
	बोडना	54/1	59.229	वन	20.00	
	मोरडोंगरी	320/1	61.964	वन	25.00	
	चापड़रैयत	17	89.140	छोटे झाड़ का जंगल	35.00	वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हेक्टेयर भूमि ही रिक्त है.
			कुल योग		662.00	

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल के दिनांक 19-9-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा मार्च-2017 में की गई थी, परन्तु परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनीकरण के लिए भू-आवंटन उपलब्ध न होने के कारण भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) का प्रकरण मंत्रालय को नहीं भेजा जा सका है, जिसके आभाव में मंत्रालय द्वारा औपचारिक पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनंशुसा की वैधता सितम्बर 2018 में समाप्त हो रही है एवं दिनांक 27-9-2018 को मंत्रालय में इस संबंध में बैठक का आयोजन भी किया गया है। उपरोक्तानुसार परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल जिले में प्रस्तावित 662 हेक्टेयर भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भूमि हस्तांतरण/आरक्षण के संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों यथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित सर्वे नंबर की खसरा प्रति (चालू वर्ष) एवं अधिकार अभिलेख से मिलान करवाया गया। राजस्व अभिलेखों के मिलान उपरांत सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिलक्षित हुई वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। आरक्षण हेतु प्रस्तावित छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद के खसरा नंबर भी सम्मिलित होने के कारण उक्त सूची की प्रति सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग बैतूल को भेजकर यह जानकारी प्राप्त की गई कि, उक्त छोटे बड़े झाड़ के खसरा नंबरों में वनाधिकार प्रमाण पत्र तो जारी नहीं किए गए हैं। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल द्वारा उक्त सूची में ही जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बैतूल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन व वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। उपरोक्त सारणी में अंकित विवरण के अनुसार, चरनोई (घाँस) के सर्वे नंबर भी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। संबंधित ग्राम में चरनोई के न्यूनतम रक्षित रकबे की जानकारी के बिना चरनोई की भूमि आरक्षित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अन्य कुछ सर्वे नंबर भूमिस्वामी मद में दर्ज होने के कारण उन सर्वे नंबरों को भी आवेदित प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना उचित नहीं है। चरनोई भूमि के एवज में छोटे बड़े झाड़ का जंगल एवं पहाड़ चट्टान मद की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की जा सकती है। अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तथ्य एवं आवेदक विभाग द्वारा बतलाई गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु प्रारंभिक रूप से प्रशासकीय आधार पर आरक्षित की जाती है:-

अ. क्र.	तहसील	ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	मद	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चिचोली	अटारी	93/1	21.901	वन	25.000
		अटारी	115/1	24.947	वन	
		अटारी	128/1	31.169	वन	25.000
		अटारी	131/1	38.171	वन	
		अटारी	75/1	25.479	वन	25.000
		अटारी	63	1.635	वन	
		जोगलीखास	463	27.087	वन	25.000
2	भैसदेही	सिंगारचावड़ी	1/1/1	26.601	वन	25.000
		ठेंगना	32/1	42.778	बड़े झाड़ का जंगल	30.000

अपर कलेक्टर
बैतूल

		आंकी रैयत	38	12.995	पहाड़	12.995
			44	3.536	बड़े झाड़ के जंगल	3.536
		मोहदा	142/1	16.494	पहाड़	14.000
		जडिया	152/1	113.029	चट्टान	90.000
3	बैतूल	सेहरा	412/1	12.890	बड़े झाड़ का जंगल	10.000
		सेहरा	465	15.361	बड़े झाड़ का जंगल	12.000
		दीवनचारसी	45	11.918	बड़े झाड़ का जंगल	10.000
4	आमला	तिरमहु	830	10.878	वन	10.000
5	घोड़ाडोंगरी	गोपालपुर	1	387.442	बड़े झाड़ का जंगल	120.000
		गांधीग्राम	11	130.85	बड़े झाड़ का जंगल	59.469
		सूकाढाना	5/1	27.009	वन	20.00
		शोभापुर	2/2	94.611	बड़े झाड़ का जंगल	25.00
			2/1	29.003	बड़े झाड़ का जंगल	20.00
		सूकाढाना	1	12.384	वन	10.00
		पाढंरा	414	12.145	वन	10.00
		बोडना	54/1	59.229	वन	20.00
		मोरडोंगरी	320/1	61.964	वन	25.00
		चापड़रैयत	17	89.140	छोटे झाड़ का जंगल	35.00
				कुल योग		662.00

उक्त आरक्षित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत, यथास्थिति उद्भूत होने वाली स्थिति के अनुसार भूमि हस्तांतरण का आदेश पत्रक से पारित किया जाएगा।

(मूल नमूना वसी)
अपर कलेक्टर 25/9/18
अपर बैतूल कलेक्टर
बैतूल

पृ.क्रमांक:- /एल.आर.2/भू.अभि./2018/ 1708
प्रतिलिपि:-

बैतूल, दिनांक 25/9/2018

- 1 उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 59, अरेरा हिल्स जेल रोड नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल को सूचनार्थ।
- 3 वनमंडल अधिकारी उत्तर-दक्षिण एवं पश्चिम (सा) वनमंडल बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, भैसदेही, मुलताई, शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5 तहसीलदार चिचोली, आमला, भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि, उपरोक्तानुसार आरक्षित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए नियमानुसार मौजेवार प्रकरण तैयार करके, 15 दिवस के भीतर सुस्पष्ट प्रतिवेदन सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर
अपर बैतूल कलेक्टर
बैतूल
25/9/2018